APP-A
Crim-I

FORM No. IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

[अदाल]त उपखण्ड अधिकारी मुकाम वैर

प्रेमसिंह बनाम गोपालसिंह

[मु]कदमा .... नं. 66 सन् 23

[त]ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/4/26	फरीकान उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है पत्रावली पूर्व आज्ञा अनुसार दि. 12/5/26 को पेश है (हस्ताक्षर) रीडर उपखण्ड अधिकारी वैर	
12/5/26	— वकीलान उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act का पेश कर निवेदन किया कि आ0 खा0नं0 309/0.29, 597/0.10, 614/0.45, 245/0.15, 246/0.37, 347/0.32, 454/0.63 वाके ग्राम हाथोड़ी तहसील वैर स्थित है। विवादित आराजियात में पक्षकारान राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सा अनुसार काबिज काश्तकार एवं खातेदार हैं। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में से अपनी आराजी को अपने कब्जे में लेकर दीगर व्यक्तियों को रहन, बय, मुन्तकिल करने पर उतारू हैं। इसकी विभाजन नहीं होने तक विवादित आराजियात के मौके की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना	समन, 4/20

उभय पक्ष के वकुलाय विवादित आराजीयात के मूल वाद के निर्णय तक यथास्थिति कायम रखने बाबत सहमत है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण उभय पक्ष के वकुलाय की सहमती के आधार पर स्वीकार किया जाता है। उभय पक्षकारान को मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी यात के मौके की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रकरण फैसल होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील शामिल मूल वाद हो। चूंकि विवादित आराजीयात बाबत एक अन्य प्रार्थना पत्र मु० नं० 76/23 उनवान शिव सिंह बनाम प्रेम सिंह इस प्रकरण में समेकित किया गया है। अतः प्रकरण से 76/23 को भी मूल वाद के निर्णय तक स्वीकार किया जाता है निर्णय की छाया प्रति उक्त पत्रावली मे शामिल किया जावे।